संख्याः– 305/एक–10–2020–33(221)/2011 टीसी–2

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनांकः 22 जून, 2020

विषयः– नोवल करोना वायरस के संबंध में अति आवश्यक मेडिकल कन्ज्यूमेबल तथा मेडिकल इक्विपमेंट क्रय करने के लिये धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 167/एक–10–2020–33(221)/2011टीसी–2, दिनांक 01–04–2020 का कृपया संदर्भ गहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोरोना वायरस संबंधी अति आवश्यक मेडिकल कन्ज्यूमेबल तथा मेडिकल इक्विपमेंट क्रय किये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–10–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" **से रू0 44,50,00,000/– (रूपये चौवालिस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि अग्रिम रूप से** जनपद के जिलाधिकारीगणों के निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि के संबंध में जनपदों स प्राप्त अद्यतन व्यय सम्बन्धी सूचना/विवरण तथा सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3 के पत्र संख्या–665/71–3–2020, दिनांक 19.06.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तथा जनपदों को धनराशि की आवश्यकता का आंकलन करने पर यह पाया गया कि जनपदों को आंवटित की गयी उक्त धनराशि के पुनरीक्षित आवंटन किये जाने की आवश्यकता है।

3– अतः इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन के **पत्र संख्या 167/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, दिनांक 01-04-2020 द्वारा** जनपदों को आवंटित की गयी उक्त धनराशि को निम्नानुसार पुनरीक्षित आंवटन किया जाता हैः–

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमांक	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	पुनरीक्षित आवंटन
1	2	3	4	5
1	प्रयागराज	100.00	00.00	5.00

2	झांसी	100.00	00.00	5.00
3	वाराणसी	100.00	00.00	5.00
4	मुरादाबाद	100.00	11.61	20.00
5	सहारनपुर	100.00	26.69	30.00
6	**मेरठ**	**100.00**	**35.93**	**200.00**
7	**गोरखपुर**	**100.00**	**38.25**	**200.00**
8	**बरेली**	**100.00**	**38.39**	**200.00**
9	**आगरा**	**100.00**	**41.13**	**200.00**
10	गौतमबुद्ध नगर	100.00	50.00	55.00
11	पीलीभीत	50.00	00.00	5.00
12	उन्नाव	50.00	00.00	5.00
13	अमेठी	50.00	00.00	5.00
14	कुशीनगर	50.00	00.00	5.00
15	बलिया	50.00	00.00	5.00
16	मैनपुरी	50.00	00.00	5.00
17	बिजनौर	50.00	00.00	5.00
18	अमरोहा	50.00	00.00	5.00
19	**मथुरा**	**50.00**	**00.00**	**100.00**
20	हाथरस	50.00	00.00	5.00
21	महराजगंज	50.00	00.00	5.00
22	बागपत	50.00	18.00	20.00
23	इटावा	50.00	00.00	5.00
24	हरदोई	50.00	00.00	5.00
25	शामली	50.00	00.00	5.00
26	हमीरपुर	50.00	00.00	5.00
27	चन्दौली	50.00	00.00	5.00

28	कन्नौज	50.00	00.00	5.00
29	चित्रकूट	50.00	00.00	5.00
30	प्रतापगढ़	50.00	00.00	5.00
31	बहराइच	50.00	00.00	5.00
32	औरैया	50.00	00.00	5.00
33	जौनपुर	50.00	00.00	5.00
34	बलरामपुर	50.00	00.00	5.00
35	अम्बेडकरनगर	50.00	00.00	5.00
36	कौशाम्बी	50.00	34.00	35.00
37	शाहजहांपुर	50.00	00.00	5.00
38	मऊ	50.00	00.00	5.00
39	सुल्तानपुर	50.00	00.00	5.00
40	मीरजापुर	50.00	00.00	5.00
41	गाजीपुर	50.00	00.00	5.00
42	सम्भल	50.00	0.97	5.00
43	बदायूं	50.00	1.98	5.00
44	फर्रूखाबाद	50.00	2.19	5.00
45	श्रावस्ती	50.00	4.37	10.00
46	रायबरेली	50.00	5.58	10.00
47	बांदा	50.00	6.03	10.00
48	गोण्डा	50.00	6.10	10.00
49	एटा	50.00	6.98	10.00
50	महोबा	50.00	9.73	15.00
51	खीरी	50.00	9.89	15.00
52	अलीगढ़	100.00	62.32	70.00
53	फिरोजाबाद	50.00	18.18	20.00

54	गाजियाबाद	100.00	70.00	75.00
55	कासगंज	50.00	20.74	25.00
56	अयोध्या	50.00	21.48	25.00
57	सीतापुर	50.00	23.52	30.00
58	जालौन	50.00	24.16	30.00
59	हापुड़	50.00	25.00	30.00
60	सोनभद्र	50.00	25.15	30.00
61	देवरिया	50.00	25.30	30.00
62	बाराबंकी	50.00	25.97	30.00
63	संतकबीर नगर	50.00	28.48	35.00
64	बुलन्दशहर	50.00	28.83	35.00
65	रामपुर	50.00	28.91	35.00
66	बस्ती	50.00	32.94	35.00
67	फतेहपुर	50.00	37.37	40.00
68	सिद्धार्थनगर	50.00	43.47	45.00
69	कानपुर देहात	50.00	46.50	50.00
70	ललितपुर	50.00	47.48	50.00
71	आजमगढ़	50.00	49.39	50.00
72	मुजफ्फर नगर	50.00	49.72	50.00
73	कानपुर नगर	100.00	100.00	100.00
74	**लखनऊ**	**100.00**	**100.00**	**200.00**
75	भदोही	50.00	50.00	50.00
	योग	**4450.00**	**1332.73**	**2480.00**
		(रूपये चौबीस करोड़ अस्सी लाख मात्र)		

4– उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित आवंटन के फलस्वरूप प्रस्तर–3 के कालम–5 के अनुसार कुल रू0 2480.00 लाख की धनराशि जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखी जाती है।

5— यदि भविष्य में जनपदों को उक्त कार्यो हेतु धनराशि के आवश्यकता पड़ती है तो उनके द्वारा औचित्यपूर्ण तथ्यात्मक प्रस्ताव/मॉग शासन को प्रस्तुत किया जयेगा, जिसके परीक्षणोपरान्त यथोचित अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

6— उक्त पुनरीक्षित धनावंटन के सम्बन्ध में पत्र संख्या—167/एक—10—2020—33(221)/2011 टीसी—2, दिनांक 01.04.2020 मे उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

भवदीया,

22/6/2020

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या— 305 (1) / एक—10—2020—33(221)/2011 टीसी—2, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4— महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0।
5— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6— समस्त कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7— अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
8— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—5
9— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3
संख्या 669 /71–3–2020
लखनऊ दिनांक 19 जून, 2020

प्रेषक
अमित गुप्ता,
सचिव।

नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19) वैश्विक महामारी के दृष्टिगत मेडिकल कन्जूमेबल तथा मेडिकल इक्विपमेन्ट क्रय करने हेतु राजस्व के शासनादेश संख्या 167/एक–10–20–33(221)/2011टीसी–2, दिनांक 01. जिसके द्वारा धनराशि अग्रिम रूप से जिलाधिकारीगण के निवर्तन पर रखी गयी है, अवगत कराने का कष्ट करें।

परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि राजस्व अनुभाग–10 के उपरिसन्दर्भित दिनांक 01.04.2020 द्वारा स्वीकृत कुल रू0 44.50 करोड़ के सापेक्ष लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, बरेली एवं आगरा हेतु रूपये 01.00 करोड (प्रत्येक हेतु) मथुरा हेतु रू0 50.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। जिलाधिकारीगण कराया गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में निरन्तर है। उक्त जनपदों में स्थापित लैबों में निकटवर्ती जनपदों के मरीजों की भी की जा रही है। ऐसी स्थिति में राजस्व विभाग द्वारा जिलाधिकारीगण के रखी गयी धनराशि सीमित होने के दृष्टिगत राज्य आपदा कोष से अतिरिक्त की गयी है। जिससे कि उक्त जनपद स्थित लैबों में कोई व्यवधान उत्पन्न कार्य निर्बाध रूप से संचालित रहे।

वर्णित स्थिति के दृष्टिगत अनुरोध है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की लैबो के निर्बाध संचालन हेतु जनपद– लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, बरेली एवं रू0 01.00 करोड (प्रत्येक हेतु) तथा जनपद–मथुरा हेतु रू0 50.00 लाख की राशि की व्यवस्था राज्य आपदा कोष से कराने का कष्ट करें।

20.6.2020

So-10

(अमित गुप्ता)
सचिव।